


**कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर**  
**कार्यालय आदेश**

निम्नांकित प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) भौतिक विज्ञान को विदेश यात्रा पर जाने की स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के आधार पर दी जाती है—

क्र. सं.	नाम कार्मिक पद एवं पदस्थापन (राउमावि)	मय पद एवं विदेश यात्रा अवधि मय विदेश जाने का कारण	विदेश का नाम जहां यात्रा करनी है
1	मुकेश मोदी, व्याख्याता (भौतिक) राउमावि झड़ू (बीकानेर)	09.10.2019 से 16.10.2019 तक कुल 08 दिन (आठ दिवस) भ्रमण हेतु	दुबई (U.A.E.)
2.	धर्मी चन्द जैन, व्याख्याता (भौतिक) राउमावि शाहपुरा (भीलवाड़ा)	23.10.2019 से 03.11.2019 तक कुल 12 दिन (बारह दिवस) भाई से मिलने हेतु	दुबई (U.A.E.)

- विदेश यात्रा के दौरान किसी प्रकार का व्यवसाय नहीं करेंगे।
- विदेश यात्रा के लिए प्रथम बार में आवेदित अवकाश में किसी प्रकार की वृद्धि राज्य सरकार की अनुमति बिना स्वीकृति नहीं होगी तथा निर्धारित अवधि के बाद लौटकर नहीं आने पर सी.सी.ए नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
- विदेश से भेजा गया "त्यागपत्र" स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
- विदेश यात्रा के दौरान राज्य सरकार के माध्यम से कोई विदेशी विनिमय नहीं किया जायेगा एवं न ही राजकीय स्रोत से इन्हें कोई विदेशी मुद्रा उपलब्ध करवाई जायेगी।
- उक्त कर्मचारी सक्षम अधिकारी से अपना अवकाश स्वीकृत कराने के पश्चात ही विदेश को प्रस्थान करेंगे। अवकाश समाप्ति के तत्काल पश्चात संस्था में अपनी उपस्थिति अनिवार्य रूप से देनी होगी। एक बार में स्वीकृत अवकाश को आगे बढ़ाया नहीं जायेगा।
- विदेश प्रवास के दौरान किसी भी प्रकार का नियोजन स्वीकार नहीं करेंगे।
- विदेश प्रवास के दौरान जहाँ-जहाँ पर रहेंगे उनके पत्ते इस विभाग को तुरन्त अवगत करावें।
- विदेश प्रवास के दौरान किसी प्रकार का अध्ययन नहीं करेंगे।
- यात्रा का समस्त खर्चा स्वयं के द्वारा वहन किया जावेगा।
- (अ) सक्षम अधिकारी द्वारा विदेश जाने हेतु जब भी अवकाश स्वीकृत किया जावे उससे पूर्व यह पुष्टि आवश्यक रूप से कर लें कि उक्त कर्मचारी के विरुद्ध तत्समय कोई विभागीय जांच/कार्यवाही प्रस्तावित/विचाराधीन नहीं है।  
(ब) कर्मचारी के विरुद्ध तत्समय कोई न्यायिक वाद लम्बित/विचाराधीन नहीं है।  
(स) कर्मचारी के अवकाश पर जाने से कार्यालय/संस्था का कार्य प्रभावित नहीं हो।  
(द) कर्मचारी द्वारा अपना कार्यभार एवं महत्वपूर्ण दस्तावेजों को हस्तान्तरणपूर्ण रूप से कर दिया गया है।


  
(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक माध्यमिक शिक्षा,  
राजस्थान बीकानेर

क्रमांक—शिविरा—मा/संस्था/सी-3/भौगक/विदेशयात्रा—अनुज्ञा/2019 दिनांक: 17.09.2019  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु—

- संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, बीकानेर संभाग, बीकानेर।
- सिस्टम एनेलिसिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर प्रसारित करने हेतु।
- संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
- संबंधित प्रधानाचार्य, राउमावि झड़ू (बीकानेर)/राउमावि शाहपुरा (भीलवाड़ा)
- संबंधित कार्मिक
- निजी एवं रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर